

अनाथ बच्चे को एकमुश्त आर्थिक सहायता

अनाथ बच्चे को एकमुश्त आर्थिक सहायता – जेओसीओ० रैंक तक के पूर्व सैनिकों के एक अनाथ बच्चे को पेंशन की सुविधा उपलब्ध होने तक एकमुश्त रु० 10,000/- की आर्थिक सहायता (अधिकतम 20 लाभार्थी प्रतिवर्ष)

1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा बच्चे के अनाथ होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
2. प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति।
3. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण।
4. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त पूर्व सैनिक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
5. वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रु० 1.20 लाख।
6. लाभार्थी का जन्मतिथि प्रमाण पत्र (लड़के हेतु अधिकतम 25 वर्ष एवं लड़की हेतु अविवाहित रहने तक)
7. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा प्रदत्त पेंशन न मिलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।